यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, सिंचाई विभाग, विकासनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधारपर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादूनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, सिंचाई विभाग, विकासनगर** के माह 05/2019 से 07/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जोगिंदर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक,श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार मौर्या,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीद्वारा दिनांक31.08.2020 से 04.09.2020 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सत्यवीर,लेखापरीक्षक,श्री मनीष श्रीवास्तव,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दीपक मालवीय,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीद्वारा दिनांक 28.05.2019 से 05.06.2019तक श्री सुधीर श्रीवास्तव,वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमे माह 01/2017 से 04/2019तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी थी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**सहसपुर एवं विकासनगर विकास खंड क्षेत्र में नहरों एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों का संचालन।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(`लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत (-)
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2018-19	-	-	610.92	610.92	245.60	245.60	-	-
2019-20	-	-	803.27	803.27	512.24	512.24	-	
2020-21(माह 07/2020 तक)	-	-	66.11	40.60	71.00	60.90	--	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है

(`लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्यसरकारद्वारा किया जाता है। इकाई "स"श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
3. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून
4. अधीक्षण अभियंता,सिंचाई कार्य मण्डल
5. अधिशासी अभियंता,सिंचाई खंड

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, सिंचाई विभाग, विकासनगरको आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदनअधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, सिंचाई विभाग, विकासनगरकी लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माहमार्च 2020को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

(vi) विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में अधीक्षण अभियंता द्वारा किए गए निरीक्षण के संबंध में विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

(vii) खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः यंत्र/ संयंत्र पंजिका की वार्षिक बंदी माह 09/2019 तक तथा स्टॉक लेखा माह 09/2019 तक की है।

(viii) फार्म 51: माह 03/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम - रु 5651547.11

भाग द्वितीय - रु (-) 4876.39

(ix) खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 07/2020 के अन्त में:-

(धनराशि रु॰ में)

(i)	नगद परिशोधन	शून्य
(ii)	सामग्री क्रय	शून्य
(iii)	निक्षेप पंजिका	28010154.19
(iv)	प्रकीर्ण अग्रिम	रुपये71883794.76
(v)	भण्डार	1565032.00

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:1 - नहर के आधुनिकीकरण व नहर सेवा मार्गके निर्माण पर रुपये 66.84 लाख की अनौचित्यपूर्ण लागत वृद्धि के साथ रुपये104.39 लाख की परिहार्य वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना।

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड द्वारा दिनांक 17/09/2018 को विकासनगर, देहरादून में तेलपुरा नहर व नहर सेवा मार्ग के आधुनिकीकरण/नवीनीकरण योजना की घोषणा (312/2019) तथा उत्तराखंड शासन के पत्र 274/XXXV-4/घो/2019 देहरादून; दिनांक 09 मार्च 2019 के क्रम में खंड द्वारा उपरोक्त योजना के निर्माण की समेकित डी॰पी॰आर॰(अनुमानित लागत - रुपये414.74 लाख) शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी। शासन द्वारा उक्त समेकित डीपीआर के सापेक्ष नहर के आधुनिकीकरण व नहर सेवा मार्ग के नवीनीकरण की पृथक पृथक स्वीकृति क्रमशः रुपये156.55 लाख (03/2020) एवं रुपये254.62 लाख (07/2020) की प्रदान की गयी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता,सिंचाई खंड, विकास नगर, देहरादून के स्वीकृति संबंधी अभिलेखो की लेखा परीक्षा (सितम्बर 2020) में निम्न कमियाँ पायी गयी:

1- खंड द्वारा उक्त दोनों कार्यो की समेकित डीपीआर सर्वप्रथम पत्रांक संख्या 1040/सि॰ ख॰ वि॰ /नई योजना; दिनांक 27/05/2019 के माध्यम से रुपये347.90 लाख (SOR 01 मई 2019) की अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून को प्रेषित की गयी थी तत्पश्चात अधीक्षण अभियंता के मौखिक निर्देशों के क्रम में पत्रांक संख्या 1647/सि॰ख॰वि॰/नई योजना; दिनांक 28/06/2019 के माध्यम से रुपये414.74 लाख (SOR 01 मई 2019) की पुनरीक्षित डी॰पी॰आर॰ प्रेषित की गयी। लेखा परीक्षा में पाया कि पुनरीक्षित डी॰पी॰आर॰ की लागत पूर्व प्रेषित डी॰पी॰आर॰ के सापेक्ष रुपये66.84 लाख अधिक थी जबकि, दोनों DPR मई 2019 की SOR पर ही आधारित है। खंडीय अभिलेखो में भी डी॰पी॰आर॰ पुनरीक्षित किए जाने संबंधी कोई औचित्य/कारण/प्रपत्र/निर्देश नहीं पाया गया। लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि डी॰पी॰आर॰ पुनरीक्षित नहीं किया गया गणना त्रुटिपूर्ण होने के कारण रुपये66.84 लाख का अंतर आया।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जब Shedule ofRates (SoR) और Details of Measurement (BoQ) में कोई परिवर्तन नहीं है तो लागत में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, उक्त के अतिरिक्त खंड के पत्रांक संख्या 1647/सि॰ख॰वि॰/नई योजना; दिनांक 28/06/2019 में यह उल्लेखित किया गया है किउच्चाधिकारियों के मौखिक निर्देशों के क्रम में DPR पुनरीक्षित की गयी है जिसे बाद में न तो अभिलिखित किया गया है और न ही त्रुटिपूर्ण गणना संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया गया था।

2- स्वीकृत डी॰पी॰आर॰ की लेखा परीक्षा में पाया कि नहर के बाएँ किनारे पर नहर सेवा मार्ग (*Service Road - नहर के निरीक्षण हेतु*) स्थित है उक्त मार्ग के नवीनीकरण की स्वीकृति भी खंड द्वारा शासन से रुपये254.62 लाख की प्राप्त की गयी है। उक्त नहर सेवा मार्ग के

नवीनीकरण प्रस्ताव के कार्य मदों की जांच में पाया कि खंड द्वारा उक्त मार्ग नवीनीकरण हेतु राजकीय राजमार्ग (State Highways) की विशिष्टियों (*Black top with Dense Bituminous Macadam/**DBM**& Semi Dense Bituminous Concrete/**SDBC***) के अनुसार निर्मित किए जाना प्रस्तावित कर स्वीकृति प्राप्त की गयी है जबकि, नहर मार्ग मुख्यतः एक Service Road है जिसका मुख्य उद्देश्य नहर के निरीक्षण/रखरखाव के लिए प्रयोग किया जाता है।

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड द्वारा नवीनीकरण एवं सुदृणीकरण के संबंध मे जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या 57/10 अधिप्राप्ति/2014 दिनांक 27/06/2014 के अनुसार CVPD 1500 से अधिक होने पर ही SDBC/BC का प्रयोग Wearing courseके रूप में किया जाना चाहिए। DBM का प्रयोग Strengthening of existing pavement हेतु Overlay के रूप में किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा में पाया कि उक्त मार्ग पर CVPD मात्र 361 है इसके अतिरिक्त DBM से Strengtheningहेतु कोई औचित्य/गणना DPR में संलग्न नहीं है। मार्ग का Existing Crust,Pavement Design/Overlay Design से संबन्धित कोई भी रिपोर्ट/ प्रपत्र सलग्न नहीं हैं।

लोक निर्माण विभाग के मानको के अनुसार उक्त मार्ग को Premix Carpet &SealCoat से निर्मित किया जाना चाहिए। अतः नहर सेवा मार्ग (Service Road)का सुधारीकरण /नवीनीकरण कार्य को राजकीय राजमार्ग (State Highways) की विशिष्टियों के अनुरूप निर्मित किए जाना के प्रस्ताव के सापेक्ष स्वीकृति प्राप्त किए जाने के कारण रुपये104.39 लाख = (रुपये172.34 लाख - रुपये67.95 लाख) की अधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी जिसे मानक के अनुसार प्रावधानित/निष्पादित किए जाने पर बचाया जा सकता था।

Items of Work	Provisioned Qty	Estimated Rate (₹)	Amount ₹
BM	1725.75	6946.00	11987059.50
SDBC	730.13	7185.90	5246641.17
Total (A)			**17233700.67**

Items of Work	Provisioned Qty	Estimated Rate ₹	Amount₹
PC	(5900*3.75) + 10% forcurve = 24337.50	217.90	5303141.00
Seal Coat	24337.50	61.30	1491889.00

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क पूर्व में है। खंड द्वारा Benkelman Beam Deflection Method के परीक्षणोपरांत ही BM/DBM &SDBC का प्रावधान तकनीकी स्वीकृति में किया जाएगा।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मार्ग के परीक्षणोपरांत (Benkelman Beam Deflection Method) ही मार्ग के CVPD के अनुरूप ही लोक निर्माण की निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार ही शासन से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त किया जाना चाहिए न कि स्वीकृति प्राप्त किए जाने के उपरांत जांच संबंधी कार्यवाही की जानी चाहिए।

अतः नहर के आधुनिकीकरण व नहर सेवा मार्गके निर्माण पर रुपये66.84 लाख की अनौचित्यपूर्ण (Unjustified) लागत वृद्धि के साथ रुपये104.39 लाख की परिहार्य स्वीकृति प्राप्त किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग- दो'ब'

<u>प्रस्तर-2:</u> कार्य की अनियमित अधिप्राप्ति, स्वीकृतमात्रा से अधिक `16.48 लाख के अनाधिकृत कार्यदेश निर्गत किया जाना तथा ठेकेदार के देयकों से `9.78 लाख की रायल्टी की कम कटौती।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम-39 के अनुसार किसी निर्माण कार्य की अधिप्राप्ति के लिए आवश्यक होता है कि उक्त के लिए शासन द्वारा प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत हो। नियमावली के मौलिक सिद्धांत [नियम-3(10)] यह भी व्यवस्था प्रदत्त करते है कि मांग को यथासंभव एकसाथ अधिप्राप्ति किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए और स्वीकृत आगणन के सापेक्ष मांग को छोटे-छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता,सिंचाई खण्ड,विकासनगर, देहरादून के अभिलेखों की जांच में उजागर हुआ था कि विभाग द्वारा विकास खण्ड विकासनगर के अंतर्गत कट्टापथर नहर के जीर्णोद्वार एवं पुनरोद्वार कार्यों के लिए उपरोक्त वर्णित वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया जिसकी प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति `11.55 करोड़ शासनादेश स0-208/II-2019-04(03)/2018 टी.सी. दिनांक 18-02-2019 तथा तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, सिचाई विभाग, देहरादून द्वारा दिनांक 23-02-2019 द्वारा प्रदत्त थी। लेखा परीक्षा जांच (सितम्बर 2020) में पाया गया था कि कार्य को अनावश्यक रूप से 6 भागों में बांटकर शासन की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति एवं सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति से एक माह पूर्व ही (जनवरी 2019) निविदाए आमंत्रित की गई और तदनुसार श्रेणी-बी के ठेकेदारों[1] के साथ अनुवंध गठित किए गए थे, जिनकी अद्यतन प्रगति के विवरण निम्नवत थे:

अनुवंध संख्या/ दिनांक	ठेकेदार का नाम	लागत (`लाख में)	नहर कार्य का भाग	अद्यतन व्यय (`में)	वाउचर संख्या एवं दिनांक
05/SE/2018-19 Dt. 01-03-2019	Sh. Satish Kumar, Herbertpur	152.94	0.440 to 2.700 km	1,40,98,268	351 of 03/2020 7th R/bill
06/SE/2018-19 Dt. 01-03-2019	Sh. Arun Kr. Gupta Vikasnagar	154.41	2.700 to 4.500 km	1,58,63,008	350 of 03/2020 7th R/bill
07/SE/2018-19 Dt. 01-03-2019	Sh.Anuj Kr. Singh Vikasnagar	152.68	4.500 to 5.500 km	1,55,64,214	05 of 10/2019 5th/R.bill
08/SE/2018-19 Dt. 01-03-2019	ShPrag Jain, Dakpathar	152.55	5.500 to 6.500 km	1,50,90,899	03 of 10/2019 5th/R.bill
09/SE/2018-19 Dt. 01-03-2019	Sh. Narayarn Singh Vikasnagar	115.48	6.500 to 7.400	1,46,81,979	04 of 10/2019 5th/R.bill
02/SE/2019-20 Dt. 02-11-2019	Sh. Narayarn Singh Vikasnagar	164.14	00 - 0.440 km + head Bandha	83,51,487	349 of 03/2020 3rd/R.bill
योग		**892.20**		**8,36,49,855**	

कार्य की अनियमित अधिप्राप्ति के इस प्रकरण को लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर दिया गया था कि उक्त कार्य नाबार्ड मद से संबन्धित है तथा नाबार्ड द्वारा कार्य की स्वीकृति (दिसम्बर 2018) के उपरांत ही निविदाए आमंत्रित की गई थी जबकि अनुबंध तकनीकी स्वीकृति के उपरांत गठित किए गए। यह भी कि यह कार्य क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नहर पर समयवद्धता के अधीन किया जाना था इसलिए उच्चाधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयानुसार इन अनुबंधों का गठन किया गया था। हालांकि, खंडीय उत्तर इस तथ्य के आलोक में स्वीकार्य नहीं थे कि विभाग द्वारा अपनाई गई अधिप्राप्ति की कार्यवाही उपरोक्त वर्णित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों अनुरूप नहीं थी और कार्य कि प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकार उत्तराखण्ड शासन में निहित है न कि नाबार्ड के पास।

लेखा परीक्षा जांच में यह भी पाया गया था कि:

[1]विभाग नियमों के अंतर्गत,श्रेणी-बी के ठेकेदार,`2.00 करोड़ तक की सीमा के कार्य करने के लिए अधिकृत होते है।

- कार्य की तकनीकी स्वीकृति में कुल 3240 घनमीटर वायर केरेट (WireCrates) के कार्य अनुमोदित थे जबकि विभाग द्वारा दो अनुबंधों के माध्यम से कुल 4300 घनमीटर[2] के कार्य आवंटित किए गए थे जिसके सापेक्ष 3522.52 घनमीटर[3] के कार्य निष्पादित किए जा चुके थे। इस प्रकार विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप इस कार्यमद की स्वीकृत मात्रा से 1060 घनमीटर अधिक लागत **`16.48 लाख** (`1,555 प्रति घ0 मी0 की दर से) के कार्य सौपें एवं निष्पादित किए जा रहे थे।

  प्रकरण के संबंध में खण्ड द्वारा उत्तर दिया गया था कि कार्य स्थल पर अतियाधिक वर्षा के कारण नहर के हैड भाग में क्षति हुई थी जिसके कारण वायर केरेट का कार्य बढ़ाया गया था और तदनुसार बढ़ी हुई मात्रा को अनुबंधों लिया गया जिसके विचलन की स्वीकृति सक्षम अधिकारी को अग्रसारित है। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि किसी भी मात्रा को निविदा में सम्मलित किए जाने एवं कार्यादेश निर्गत किए जाने के लिए समुचित मात्रा हेतु सक्षम प्राधिकारी की मूल अथवा पुनरीक्षित स्वीकृति प्राप्त होना अनिवार्य होता है, जोकि उक्त प्रकरण में अभीतक अप्राप्त थी। अतः समुचित स्वीकृति के अभाव में अधिक मात्रा/लागत `16.48 लाख का कार्यावंटन/निष्पादन अनाधिकृत था।

- अनुबंध स0-02/एस.ई./2019-20 के निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदार द्वारा कुल 3966 घनमीटर के उप खनिजों का उपयोग किया गया था जिसके लिए खण्ड द्वारा `6,10,764 की रायल्टी की देयता आगणित की गई थी परन्तु वास्तविक रूप से `2,60,581 की रायल्टी की कटौती/वसूली की गई थी। इसके अतिरिक्त,अनुबंध स0-09/एस.ई./2018-19 के निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदार द्वारा कुल 4077.42 घनमीटर के उप खनिजों का उपयोग किया गया था जिसके लिए खण्ड द्वारा `6,27,922 की रायल्टी की देयता आगणित की गई थी परन्तु वास्तविक रूप से रायल्टी की कटौती/वसूली नहीं की गई थी।

  रायल्टी की उपरोकतानुसार कम कटौती (`9,98,105) के लिए खण्ड द्वारा उत्तर/आश्वासन दिया गया था कि ये दोनों कार्य एक ही ठेकेदार से संबन्धित है जिसके द्वारा अधिकांश उप खनिजों के क्रय एवं परिवहन संबंधी प्रपत्र कार्यालय में उपलब्ध कराये गए है परन्तु उक्त के संकलित सार वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। कार्यों के अंतिम देयकों का भुगतान किया जाना शेष है अतः कार्यों हेतु प्रत्युक्त उप खनिजों एवं उसके सापेक्ष उपलब्ध कराये गए दस्तावेजों की अंतिम जांच कर, रायल्टी की आवश्यक कटौती कर ली जाएगी। हालांकि, उत्तर संतोषजन नहीं था क्योंकि ठेकेदार के प्रत्येक देयकों को पास करने से पूर्व रायल्टी की शुद्ध देयता की गणना एवं कटौतियाँ किया जाना अपेक्षित था।

अतः अनियमित अधिप्राप्ति एवं अनाधिकृत कार्यावंटन/निष्पादन `16.48 लाख का यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है और रायल्टी की कम कटौती`9.78 लाख हेतु प्रदत्त आश्वासन के अनुरूप अन्तिम कार्यवाही की प्रगति लेखा परीक्षा में प्रतीक्षित रहेगी।

[2]अनुबंध स0-02/एस.ई./2019-20: **4200 घनमीटर** एवं अनुबंध स0-05/एस.ई./2018-19: **100 घनमीटर**।

[3]अनुबंध स0-02/एस.ई./2019-20: **3422.04 घनमीटर** एवं अनुबंध स0-05/एस.ई./2018-19: **100.48 घनमीटर**।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
14/2019-20	--	1,2	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध में खंड ने उत्तर में बताया कि उक्त प्रस्तर के संबंध में वांछित सूचना अद्यतन कर कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले.प.), उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित की गई है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

--शून्य–

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, रुड़की लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, सिंचाई खंड, सिंचाई विभाग, विकासनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहनकिया गया:-**

क्र. सं.	नाम	पदनाम	अवधि
01	श्री शैलेंद्र कुमार बसलियाल	अधिशासी अभियंता	27.06.2017 से वर्तमान तक

5. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध रहे:-**

क्र. सं.	नाम	पदनाम
01	श्री बलदेव राम	वरि॰ प्रभागीय लेखाधिकारी
02	श्री सुनील निगम	वरि॰ प्रभागीय लेखाधिकारी

लघुएवंप्रक्रियात्मकअनियमितताएंजिनकासमाधानलेखापरीक्षास्थलपरनहींहोसकाउन्हेंनमूनालेखापरीक्षाटिप्पणीमेंसम्मिलितकरएकप्रति कार्यालयप्रमुख अभियंता/ विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून कोइसआशयसेप्रेषितकरदीजायेगीकिअनुपालनआख्यापत्रप्राप्तिकेएकमाहकेअन्दरसीधेउप-महालेखाकार/ए॰एम॰जी॰-I, कार्यालयप्रधानमहालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकारभवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195कोप्रेषितकरदीजाए।

वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी
ए॰एम॰जी॰ - I